न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 31/2015

रमजान खॉ पुत्र कमरू खॉ जाति देशवाली निवासी ग्राम कायड तहसील व जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार,अजमेर ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री ओ.पी.भट्ट, शाहबुद्धीन खान अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :–17.11.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कायड के ख.नं. 3995 चरागाह भूमि के रकबा 0.16 हैक्टयर पर अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का कायड द्वारा प्लाटिंग कर रास्ता निमार्ण कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं बिना अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली, शास्ती एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 18.03.2015 को पारित किया गया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि पटवारी हल्का कायड द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम कायड के ख. नं. 3955 चरागाह भूमि के रकबा 0.05 हैक्टयर पर प्लाटिंग कर रास्ता निमार्ण कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली, शास्ती एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 18.03.2015 को पारित कर दिया। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किसी ठोस एवं स्वतंत्र साक्ष्य से साबित नहीं था। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट बनाई गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र पटवारी हल्का के मौखिक बयानों एवं बेदखली की फौरी रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध सिविल कारावास एवं बेदखली का पारित ओदश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य से विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का उक्त आराजी पर आज दिनांक कब्जा नहीं है अर्थात कब्जा छोड दिया है। इस आश्य का शपथ पत्र भी सलंग्न अपील प्रस्तुत किया

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

गया है। अतः अपील अपीलान्ट न्यायहित में स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार प्रथम, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2015 निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अपने कथनो के समर्थन में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आर.आर.टी.2003(1) पेज 221–223, पेज 306–309, पेज 599–601 के उद्धरण उद्वत करवाये।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाने से पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 के तहत नायब तहसीलदार के समक्ष रिर्पोट प्रस्तुत की गई। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् पुनः कब्जा अतिक्रमण होने से रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा उपस्थित पटवारी हल्का के बयान दर्ज कर नियमानुसार आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है तथा अतिकमी द्वारा चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग कर रास्ता निमार्ण कर पुनः अतिकमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधि. के तहत् उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप ही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कोई कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार, अजमेर, प्रथम का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2015 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner